प्रेस विज्ञप्ति

06.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने 13.12.2024 को माननीय विशेष न्यायालय ईडी/एसीबी/सीबीआई कोर्ट नंबर 1, गाजियाबाद के समक्ष राजीव त्यागी, मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स (एक साझेदारी फर्म), संजीव कुमार त्यागी, मेसर्स एस के एंटरप्राइजेज (एक साझेदारी फर्म), मेसर्स एस के टी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसयूएजे एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, विकास त्यागी और मेसर्स देहरादून मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 03.02.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई, गाजियाबाद, (उप्र) द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, गाजियाबाद और उसके साझेदारों व अन्य के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि राजीव त्यागी ने अपने साझेदारी फर्म अर्थात मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, गाजियाबाद के माध्यम से अन्य सहयोगियों/गारंटरों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और बैंक (पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक और अब विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) से फर्जी/जाली दस्तावेज और गिरवी रखी गई संपत्तियों के बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करके बैंक को धोखा देने के इरादे से ऋण/वित्तीय सुविधाएं प्राप्त कीं।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि बैंक से लिए गए ऋण/वित्तीय सुविधाओं को उनके व्यक्तिगत खातों या संबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के खातों के माध्यम से स्तरित/विपथित/हेप्टन किया गया था, और बाद में उनका उपयोग इच्छित उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण चुकौती में चूक हुई, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को भारी नुकसान हुआ।

जांच के दौरान, अचल संपत्तियों के रूप में 14.66 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई और पीएओ दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से अनंतिम रूप से कुर्क की गई, जिसे दिनांक 11.12.2024 के शुद्धिपत्र (7.07 करोड़ रुपये) और 30/2024 दिनांक 11.12.2024 (3.91 करोड़ रुपये) के साथ पठित, जो विद्वान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष पुष्टि के लिए लंबित है। इसके अलावा, राजीव त्यागी को धन शोधन के अपराध में शामिल होने के लिए 16.10.2024 को गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जांच जारी है।